Vol. 3, No. 3 July - Sept. 2015 ISSN: 2321-5607

Socio - Economic Perspectives

A Quarterly Refereed Journal

Socio - Economic Perspectives

Vol. 3, No. 3, July - September, 2015

CONTENTS

1.	Problem of Health and Well-Being in Indian Women ***- Preeti Dwivedi***	1-7
2.	Functioning of ASHAs in one selected Block of Fatehpur District, Uttar Pradesh ***- Neelam & Dr. Rupesh Kumar***	8-17
3.	Social Work Education : An Analysis ***- Vijai Sharma***	18-22
4.	Impact of Narcotic Drugs Among Youth of Delhi ***- Dr. Ranjeeta Dwivedi***	23-28
5.	Youth and Their Accountability Towards Climate Change ***- Anvita Verma & Dr Vinod Kumar Pandey***	29-40
6.	Role of RTI & Policies to Strengthen the status of Women in India ***- Srinarayan Dwivedi***	41-43
7.	Tragic Irony in Thomas Hardy's Novels ***- Dr. Roma Guha***	44-45
8.	Human Rights of Presoners is the Problem of Police ***Dr. Priyanka Srivastava & Dr. Rakesh Kumar Yadav***	46-51
9.	Need of Quality Teaching in Higher Education in India ***- Dr. Geetanjali Srivastava.***	52-68
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन एवं प्रभाव का एक अध्ययन *— लक्ष्मण कुमार माली' एवं डा. बिजेन्द्र प्रधान''*	69-77

ISSN : 2321-5607

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम का ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन एवं प्रभाव का एक अध्ययन

लक्ष्मण कुमार माली*
डा. बिजेन्द्र प्रधान**

प्रस्तावना

भारत में बड़े लम्बे समय से अनेक संगठन एक ऐसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून की मांग करते रहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी के साथ–साथ काम करने के अधिकार को संरक्षित करने के दूसरे भी कानूनी उपाय भी हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी विकट समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये ''गरिमा के साथ जीने का अधिकार'' एवं संविधान के अनुच्छेद् 41 में भी देश के प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की बात कही है।

भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को एक लम्बे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों के कड़े विरोध के बाद 23 अगस्त 2005 को पारित कर 02 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में लागू किया गया और वर्ष 2007–08 में 130 जिले इसमें और शामिल कर लिये गए। देश भर के शेष जिले 1 अप्रैल 2008 को इसमें शामिल किए गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षों के बाद भी अगर भारत सरकार ने गाँधी जी के सच्ची आजादी को आत्मसात करते हुए सबको शिक्षा, सबको रोजगार की बुनियाद के प्रति जागरुक होते हुए एक सकारात्मक पहल है। देश में अभी भी यह कानून कोई विशेष प्रभावी नही हो रहा है, फिर भी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कानून 2005 एक ऐसा संभावित हथियार है, जिससे देष की करोड़ों जनता जो अभी तक अपने अधिकारों की लड़ाई में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके प्रतिफल के रूप में देखती है। आजादी के बाद पहली बार उन्हें बेराजगारी से लड़ने का एक अस्त्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिससे वे अब अपने बुनियादी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी शुदा रोजगार प्राप्त होने से उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचाया

* शोधार्थी, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)
** सहःआचार्य, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)

जा सकता है, मोल भाव करने की उनकी ताकत में इजाफा किया जा सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उनकी मदद दी जा सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारवादी समर्थक भले ही 7 प्रतिशत विकास दर पर गर्व करें लेकिन यह कटु सच्चाई है कि आज भी भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता सरकार की योजनाओं से वंचित रहती है जिसका प्रभाव गांवों में गरीबी बढ़ने से लोगों द्वारा रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भागना पड़ता है। शहरों में स्थायी रोजगार तो प्राप्त नहीं होता, अपितु उन्हें यहां भी मजदूरी का ही कार्य करना पड़ता है शहरों की सीमित सुविधाओं में से उन्हें शहर के गन्दे नालों एवं सड़क के किनारे अपना आशियाना बनाना पड़ता है, जिससे उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च कर देना पड़ता है।

अधिनियम का उद्देश्य

ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा को पुष्ठ करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं उनको कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण औरतों को रोजगार से जोड़ कर सशक्त करना। गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना तथा रोजगार गारंटी के द्वारा उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण कर पर्यावरण की रक्षा करना, आदि उद्देश्य हैं, जिससे कि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि सामाजिक समानता सुनिश्चित हो सके।

रोजगार गारन्टी कानून से प्राप्त लाभ

- यह योजना सबसे अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने में मददगार रही है।
- योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन होने के फलस्वरुप मजदूरों को 100 दिन का स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से गावों से शहरों या दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन में कमी आई है।
- इस योजना के द्वारा गारण्टी युक्त रोजगार मिलने से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- इस योजना के बन जाने से गांवों को बुनियादी रोजगार के साथ–साथ स्थानीय संसाधनों का भी उचित उपयोग हो रहा है।

मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताएं

इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :–

1. समुचित जांच पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत लोगों को बिना किसी शुल्क के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराती है।
2. गांवों में रहने वाले परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल मजदूर के रूप में कार्य करना चाहें, वे स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते है।
3. मजदूरी प्रतिदिन की दर से अथवा नग दर के अनुसार पुरुष एवं महिला को समान दी जाती है और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है। यह भुगतान किसी भी दषा में 15 दिन से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
4. इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों में मुख्यतः जल एवं मृदा संरक्षण, वनरोपण और भूमि विकास से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।
5. मंजूर परियोजना का न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत अपनी देख–रेख में सम्पन्न करवाती है।
6. कार्य स्थल पर शिशु–गृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है।
7. मनरेगा अधिनियम के तहत पंजीकृत आवेदकों में से न्यूनतम 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
8. आवेदक को रोजगार उसके गांव की 5 किमी. की सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवेदक को रोजगार इसके गांव से 5 किमी से दूर उपलब्ध कराया जाता है तो परिवहन व्यय के लिए मजदूरी से 10 रुपये अधिक अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
9. इसमें यह प्रावधान है कि आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो कार्ड धारक को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
10. ग्राम पंचायत लिखित रूप में प्राप्त आवेदन के बाद तिथि सहित पावती जारी करती है जिसके 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड धारक को गारंटी से रोजगार प्रदान करती है।
11. जॉब कार्ड धारक आवेदक काम पाने के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन दे सकता है। इस समस्या के तहत ग्रामीण व्यक्ति महीने में न्यूनतम 14 दिन की मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है।
12. नरेगा के अन्तर्गत मांग के अनुसार रोजगार की रूपरेखा तैयार की जाती है।

मनरेगा में कार्यो की मंजूरी एवं संचालन

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी) में यह प्रावधान किया गया है कि सभी कार्यों की प्रस्तावित वर्ष से पूर्ववर्ती दिसम्बर माह में अग्रिम प्रशासनिक मंजूरी और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। जैसे ही ग्रामीण

रोजगार मांगते हैं, तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी के साथ तैयार परियोजनाओं में से कार्य आरम्भ कर दिए जाते हैं। ग्राम पंचायतें सामान्यतः कार्यादेश जारी करके कार्य प्रारम्भ करती है और आवेदकों को रोजगार देती है। कार्यक्रम अधिकारी भी कार्यादेश जारी करके कार्य को शुरु करवा देता है। यदि उसे रोजगार के आवेदन प्राप्त हो अथवा ग्राम पंचायत उसे इसके लिए कहती है।

ग्राम पंचायतें कार्यक्रम अधिकारी को कार्य शुरू होने के पहले ही सूचना देती है कि वह इसके लिए आवश्यक मास्टररोल जारी करे। प्रत्येक मास्टररोल की एक विशेष पहचान संख्या होती है और उसे कार्यक्रम अधिकारी सत्यापित करता है। मास्टररोल में जॉब कार्ड संख्या या मजदूरों के नाम ओर कार्य दिवसों की संख्या दर्ज होती है। इसी से श्रमिकों सें संबंधित प्रविष्टियां भरी जाती है। विशिष्ट संख्या वाला सत्यापित मास्टररोल कार्य स्थल पर व्यवस्थित रखा जाता है। वहां पर कच्चा मास्टररोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मास्टररोल में दर्ज विवरण को रजिस्टर में दर्ज करना होता हैं। यह कार्य जॉब कार्ड धारी मजदूर करेगें, जिन्होंने रोजगार के लिए आवेदन किया हैं। मनरेगा परियोजना में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है।

कार्य मूल्यांकन के लिये बतलाये गये उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार स्थान विशेष से संबद्ध परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन कार्यक्रम चलाती है। इससे यह तय किया जा सकता है कि विभिन्न जलवायु स्थितियों, भू–संरचनाओं के बीच उत्पादकता मानदंड और भुगतान दरों में कैसे संतुलन कायम रखा जा सकता है। कार्य स्थल पर समान काम के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को समान दर पर भुगतान करना पड़ता है। मानक रूप से तैयार दर का खाका जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करते है तथा दरों को स्थानीय सरल भाषा में कार्य स्थल पर प्रदर्शित किया जाता है।

दैनिक रूप से किये जाने वाले कार्यो को डायरी में लिखते है। मेट और तकनीकी प्रभारी द्वारा अलग–अलग किया गया कार्य मापन एक समान होता है। यह माप दैनिक आधार पर पारदर्शी तरीके से हो तथा माप का सत्यापन तकनीकी प्रभारी द्वारा मजदूरी भुगतान से एक सप्ताह पहले कर दिया जाता है ताकि भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हो पायें।

कार्य स्थल पर अपेक्षित सुविधाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 2, धारा 27 के अनुसार–कार्य स्थल पर अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। चिकित्सा सुविधा, पेयजल, छप्पर और यदि छह साल से कम आयु के पांच बच्चे कार्य स्थल पर हों तो क्रेच की सुविधाएं प्रदान की जाती है और

इन क्रेच में (शिशु सदन) बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति या महिला को रखा जाता है। बच्चे की सुविधा के लिये क्रेच को इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। आमतौर पर एक कार्यस्थल अथवा कई कार्य स्थलों के लिए एक क्रेच खोला जाता है।

रोजगार गारंटी दिवस

मनरेगा एक ऐसी राष्ट्रीय योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में व ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हर एक ग्राम पंचायत सप्ताह में एक दिन 'रोजगार गारंटी दिवस' या 'रोजगार दिवस' के रूप में निर्धारित करता है इस दिन रोजगार के लिए आवेदन लेना, उससे संबंधित जानकारी देना, कार्य का आवंटन करना, मजदूरी का भुगतान करना और बेरोजगारी भत्ता बांटने जैसे कार्य किया जाता हैं। 'रोजगार गारंटी दिवस' के दिन ये सभी गतिविधियां जारी की जाती है। खासकर रोजगार के लिए आवेदन कार्य दिवस के दिन स्वीकार किया जाता है।

शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्त्व

विश्व में ग्रामीण विकास की दृष्टि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के संचालन के आज आठ वर्ष से अधिक की अवधी हो चुकी है लेकिन विभिन्न शोध पत्र के अध्ययन से पता चलता है कि अभी तक इस योजना का पूर्णरुप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है? क्या योजना के अनुसार समय पर मजदूरी का भूगतान हो रहा है? क्या योजनां अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रही है? योजना का मजदूरों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है – आदि प्रकार की जानकारी प्राप्त कर उनका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता को मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन का अवसर मिलेगा तथा कार्यक्रम से ग्रामीण मजदूरों पर प्रभाव का आंकलन कर पायेगा। शोध में मनरेगा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा और मनरेगा से जूड़े मजदूरों के जीवन स्तर पर कार्यक्रम के प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बाधाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी जो मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में अड़चन उत्पन कर रहे है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर समस्याओं का निराकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन के रूप में किया जायेगा। अध्ययन के द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समस्याओं का पता लगाना एवं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग इस योजना में कार्य कर रहे है उनके जीवन स्तर पर

प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मनरेगा के क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. योजना का ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. योजना के द्वारा कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
4. गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन की स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्य का पुर्नावलोकन

1. नौमी जैकब (2008) ने अपने शोध पत्र "द इम्पैक्ट ऑफ नरेगा ऑन रुरल – अरबन माइग्रेशन : फिल्ड सर्वे ऑफ वीलूपुरम डिस्ट्रीक्ट, तमीलनाडू" के अध्ययन में विलूपुरम जिला के 22 विकास खण्ड में नरेगा के प्रभावों का अध्ययन किया जिसका उद्देश्य नरेगा एक्ट 2005 के प्रभावों का अध्ययन एवं नरेगा से लाभान्वित होने के बाद उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का अध्ययन करना था। इन्होने अपने अध्ययन में पाया कि लोग पहले जो कॉफी के बगीचे में काम करते थे उन्हें नरेगा में काम करने के पश्चात् अत्यधिक संतुष्टि नहीं हुई है। इन्होनें पाया कि जो अकुशल श्रमिक थे वो संतुष्ट थे, जबकि कुशल श्रमिकों का असंतुष्ट होना बताया गया।

2. अशोक के पंकज (2008) ने अपने शोध पत्र "प्रोग्रेसेस, इन्स्टीटूशन एण्ड मैकेनिजमस ऑफ इम्पलीमेन्टेशन ऑफ नरेगा : इम्पैक्ट अस्समेन्ट ऑफ बिहार एण्ड झारखण्ड" के अध्ययन में बिहार के 12 गांव एवं झारखण्ड के 30 गावों में नरेगा का ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य मजदूर के जीवन की गुणवता में वृद्धि की जानकारी करना था। यह अध्ययन सर्वे प्रद्धति के यादृच्छिक निदर्शन स्तरीकृत प्रकिया से किया गया। निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि मनरेगा में कार्य करने से समाज में गतिशीलता आई है तथा सभी अपनी मजदूरी के प्रति जागरुक हुए व सन्तोषप्रद मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

परिकल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना निम्न है :–

1. मनरेगा में कार्य करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
2. मनरेगा योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रुप से लाभ प्राप्त नही हो रहा है।
3. मनरेगा का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।
4. मनरेगा के क्रियान्वयन से गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आ रही है।

अध्ययन की प्रकृति एवं क्षेत्र

शोध प्ररचना –

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शोध प्ररचना एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान राज्य के नागौर जिले की चयनित विकास खण्ड लाडनूं की ग्राम पंचायतों के गावों में किया गया है।

शोध का विधितंत्र

अध्ययन का समग्र– प्रस्तुत अध्ययन में चयनित विकास खण्ड लाडनूं की समस्त ग्राम पंचायतों (32) तथा उसके समस्त गांव समग्र के रुप में लिये गये है।

निदर्शन– प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने शोध कार्य हेतु चयनित विकास खण्ड लाडनूं की 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों (06 ग्राम पंचायतों) का दैव निदर्शन के आधार पर दुजार, कसुम्बी अलीपुर, लेडी, मंगलपुरा, हुड़ास एवं जसवंतगढ़ का चयन किया गया है तथा चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सभी गावों से 10 प्रतिशत मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों का दैव निर्देशन के आधार चयन किया गया है।

आकड़ों का संग्रह– प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों की खोज के दो स्रोत है–

1. प्राथमिक स्रोत 2. द्वितीयक स्रोत

आंकड़ें एकत्र करने के यन्त्र व तकनीक

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक तथ्य स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, केन्द्रित समूह चर्चा एवं चेकलिस्ट इत्यादि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त सभी प्राथमिक तथ्य स्रोत के साधनों का उपयोग करने से पहले शोधकर्ता के द्वारा प्री–टेस्ट किया गया है। द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत शोधकर्ता के द्वारा पुस्तिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा अन्य षोध ग्रन्थों का प्रयोग किया है।

आकड़ों की व्याख्या व विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा आकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन का प्रयोग करके आकड़ों का विष्लेशण किया गया है।

उपलब्धि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 को देश में लागू

हुए आज नौ वर्ष से अधिक समय हो चुका हैं। जब से देश में यह अधिनियम लागू हुआ हैं तब से लाखों गरीब लोगों के जीवन स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं। इसके साथ ही साथ इस योजना के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव भी गावों के लोगों पर देखा गया है। यह शोध कार्य लाडनूं विकास खण्ड की छः ग्राम पंचायत जिसमें दुजार, कसुम्बी अलीपुर, लेडी, मंगलपुरा, हुड़ास एवं जसवंतगढ़ के सभी गांवों से 10 प्रतिशत मनरेगा योजना में वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक कार्य करने वाले मजदुरों पर किया गया है। इस शोधकार्य में विश्लेषण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना की जानकारी 100 प्रतिशत है। जिसमें जानकारी के स्त्रोत का माध्यम 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत रहा है। 60.43 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने माना कि योजना में कार्य करने से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 55.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनकी वार्षिक आय में वृद्धि हुई है तथा पुराने कर्ज चुकाने में उनको मदद मली है। 94.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा में कार्य मिलने के कारण बैरोजगारी का डर खत्म हुआ है एवं उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। भारत में निर्धारित न्यूनतम वेतन पर 100 दिनो की गारण्टी देने वाला ऐसा पहला कानून हैं जो गरीब ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को मजबुर करता हैं। 58.33 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने माना कि योजना के फलस्वरुप स्थानिय स्तर पर रोजगार मिलने के कारण गावों से शहरों की और होने वाला पलायन में कमी आई है। 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि कार्य स्थल पर उनको पेयजल की सुविधा दी जाती है। 93.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको कार्य स्थल पर छप्पर एवं क्रेच आदि सुविधा कार्यस्थल पर दी जाती है। 93.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मान है कि कार्य स्थल पर उनको चिकित्सा सुविधा दी जाती है। योजना की सफलता के साथ–साथ कुछ कमिंया भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में रही है जिसमें मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होना है। योजना के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण तथा स्थायी परिसम्पत्ति के सृजन पर जोर देने के कारण इसमें खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास में योगदान मिला हैं।

साराशं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 का ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इससे आजीविका में सहयोग तो मिला ही है साथ ही साथ भौतिक संसाधनों में भी वृद्धि हुई है, जैसे – सिंचाई के साधन, पीने का पानी, मेढ़बन्दी, तालाब, सड़क, सामुदायिक भवन इत्यादि जिसका उपयोग गांव के लोगों द्वारा भविष्य में करते है। सिचाई के साधनों का लोगों के द्वारा उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करते है। इसके लिए जरूरत

है कि लोगों को इसमें कार्य करने का मौका दिया जाये, समय पर पूर्ण मजदूरी का भुगतान कराना, कार्य की समय पर उपलब्धता कराना इत्यादि।

सन्दर्भ सूची

1- Naomi Jacob. 'The Impact of NREGA on Rural-Urban Migration: Field survey of Villupuram District, Tamil Nadu',Summer Research Internship Programme, Center for Civil Society 2008.

2- Ashok K. Pankaj, 'Processes Institution and Mechanisms of Implemention of NREGA: Impact Assessment of Bihar and Jharkhand', Ministry of Rural Development of India and UNDP 2008.

3- Dr. Jotin Bordoloi, 'Impact of NREGA on Wage Rates, Food Security and Rural Urban Migration - A Study in Assam', Agricultural University Assam 2011.

4- Desai, A.R. *Indian Rural Sociology*, Rawat Publication 2002.

5- Lawaniya, Dr. M.M. and Jain, Shashi. K, *Rural Sociology*, Research Publication 2007.

6- Sharma, Mahesh. *NREGA*, Prabhat Publication 2008.

7- Sindhi, Nrendra Kumar. and Goswami, Vasudhakar. *Discriptive Socilogy*, Rajasthan Granth Academy 2007.

8- Krishnaswami, O.R and ranganatham, M. *Methodology of Research in Social Sciences*, Himalaya Publication (Publishing) house 2006.

9- Ahuja, Ram. *Research Methods*; Rawat Publication 2006.

10- Yojna, Special Issue on "Implementation of Employment Guarantee Program" Vol. 57, August 2008.

11- Kurushetra, Special issue on "NREGA – Now Employment in village" Vol.2, December 2009.

12- The National Rural Employment Guarantee Act 2005

13- www.nrega.nic.in

14- www.nrega.net

15- www.rural.nic.in

16- www.blogs.thehindu.com.Delhi

17- www.cseindia.org,

18- www.cseindia.org

19- http://hi.wikipedia.org

20. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, प्रतिवेदन मई 2009.

21. राय, डॉ. पारसनाथ, 'अनुसंधान परिचय', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा 1973.

22. लुण्डबर्ग, जॉर्ज, 'शैक्षिक और सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण', वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर 1995.

23. गुडे तथा हाट, 'मापन एवं मूल्यांकन', ईगल बुक्स इण्टरनेषनल प्रकाशन, मेरठ 1993.

24. एनआरईजीए प्रतिवेदन, 2006–2007.